न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र धारा 89 : 02/2025
दायर दिनांक : 06.03.2025
निर्णय दिनांक : 25.07.2025

–:अनवानः–

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कर्नल अक्षय ओहरी, राजपुरा दरीबा काम्प्लेक्स, राजसमन्द। **– प्रार्थी**

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र गमेरा, जाति सालवी, निवासी दरीबा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. मांगीलाल पुत्र गमेरा, जाति सालवी, निवासी दरीबा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–
1– श्री रामलाल जाट अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री शेषमल गाडरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा विरूद्ध अप्रार्थी के इस न्यायालय में दिनांक 05.03.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी कम्पनी एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है जिसका पंजीबद्ध कार्यालय यशद भवन, उदयपुर में स्थित है। प्रार्थी कम्पनी नॉन फेरस मेटल्स सीसा व जस्ता के खनन उत्पादन इत्यादि के कार्य में संलिप्त है। प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न खनन पट्टे जो मुख्य रूप से जावर खान, राजपुरा दरिबा खान, सिन्देसर खुर्द खान, रामपुरा आगूंचा खान व कायड़ खान इत्यादि आवंटित किये गये है। प्रार्थी कंपनी पूर्ण रुप से विधिगत तरीके से नियमानुसार खनन कार्य करती आ रही है। प्रार्थी कंपनी के पक्ष में खनन पट्टा संख्या 166/2008 है जो कुल 1142.2106 हैक्टेयर है जिसकी अवधि दिनांक 29.05.2030 तक

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

स्वीकृत है। प्रार्थी कंपनी के पक्ष में जारी खनन पट्टा संख्या 166/2008 में आने वाली कुल भूमि में से ग्राम दरीबा कि जमाबंदी के खाता संख्या 127 खसरा नम्बर, 485, 486, 487, 490, 517, व 518 की कुल भूमि 2.2986 हेक्टेयर अप्रार्थी खातेदारों के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जो कि उक्त भूमि प्रार्थी के खनन पट्टे का अंगशुमार है। प्रार्थी कंपनी को खनन पट्टे की अंगशुमार उपरोक्त भूमि में से खसरा संख्या 490 रकबा 0.9874 हेक्टेयर (6.02 बीघा) भूमि अपने खनन कार्य/खनन कार्य विस्तार हेतु आवश्यकता है। प्रार्थी कंपनी के पक्ष में जारी उक्त खनन पट्टा की भूमि में खनिज जिंक, लेड एवं अन्य एसोसिएटेड मिनरल्स है। प्रार्थी कम्पनी अपने व्यवसाय विस्तार हेतु उक्त खनन पट्टे की प्रश्नगत भूमि से खनिज जिंक, लेड एवं अन्य एसोसिएटेड मिनरल्स के दोहन हेतु खनन गतविधियां संचालित करना चाहती है। राज्य सरकार द्वारा प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में खनन करने के अधिकार जरिये माईनिंग लीज दिया जा चुका है व प्रार्थी उक्त प्रश्नगत भूमि पर खनन विस्तार इत्यादि कार्य करना चाहती है। कंपनी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर उक्त खातेदारों एवं उनके पूर्ववर्तियों द्वारा प्रदत्त अनुमित कब्जे के तहत खनन कार्य किया जाता आ रहा है। उक्त खातेदार अब वर्तमान में उक्त प्रश्नगत भूमि का कब्जा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कंपनी को सुपुर्द करने के लिए इच्छुक है जिसके लिए कंपनी भी उपयुक्त मुआवजा देने हेतु सक्षम एवम् राजी है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण खातेदारों से उक्त भूमि पर खनन कार्य करने हेतु अधिकार व अनुमति प्रदत्त है एवम् उन्हें इस एवज में होने वाले व्यवधान के रूप में भूमि की मुआवजा राशि भी कई बार ऑफर की गई। प्रार्थी कंपनी नियमानुसार व विधि अनुसार अप्रार्थी को मुआवजा देने को तैयार है। अतः आप श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को होने वाले हर्जे की मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाये व प्रार्थी कंपनी को इस मुआवजे का संदाय अप्रार्थीगण को करने के पश्चात् प्रश्नगत भूमि पर खनन व उससे संबंधित कार्य करने दिया जायें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण की ओर अधिवक्ता श्री शेषमल गाडरी उपस्थित। जिन्होने दिनांक 28.03.25 को उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पद संख्या 1 से 11 पूर्ण रूप से स्वीकार है। पद संख्या 12 से 14 के संदर्भ में अप्रार्थीगण का निवेदन है कि अप्रार्थीगण की प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 490 रकबा 0.9874 हेक्टेयर (6.02 बीघा) प्रार्थी के खनन पट्टा का भाग है एवं प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थीगण की अनुमति से ही प्रार्थी द्वारा खनन व खनन से संबंधित कार्य किया जा रहा है। परन्तु अभी तक मुआवजा राशि अदा नहीं की गई। अप्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा पर्याप्त मुआवजा राशि दिए जाने पर ही धारा 89 भू राजस्व अधिनियम के तहत भूमि के अधिकार प्रार्थी को दिए जा सकते हैं। अप्रार्थीगण का निवेदन है कि उक्त प्रश्नगत भूमि का कुलिया मुआवजा राशि 1,60,00,000 (अक्षर एक करोड़ साठ लाख) रूपये प्रार्थीगण से प्राप्त करना चाहते हैं। उक्त राशि पर लोक अदालत की भावना से राजीनामा करने को तैयार है। अप्रार्थीगण को प्रार्थी द्वारा उक्त राशि प्रदत्त किए जाने पर प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के अंतर्गत स्वीकार किया जाने में अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

पक्षकारान द्वारा दिनांक 03.04.2025 को प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश कर प्रकरण में राजीनामा होने का कथन किया है जिस पर पत्रावली सिगह से तलब कर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामें को शामिल पत्रावली कर वास्ते आदेश दिनांक 07.04.25 को नियत किया गया।

प्रकरण में दिनांक 06.06.2025 को आदेश पारित करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि ICICI बैंक के रहन होने से अप्रार्थी द्वारा रहन समाप्त होना बताते हुए न्यायालय में NOC पेश करने हेतु निवेदन किया। प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु तहसीलदार रेलमगरा व खनिज विभाग को सुना जाना न्यायोचित मानते हुए उन्हे अपना पक्ष रखने हेतु पत्र जारी किये गये। जिस पर खनि अभियन्ता राजसमन्द द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रेषित कर प्रकराणाधीन भूमि के खसरा संख्या 490 रकबा 0.9874 हेक्टेयर (6.02 बीघा) प्रार्थी के खनन क्षैत्र में स्थित होना बताया हैं। तहसीलदार रेलमगरा की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी उपस्थिति दी।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है जो न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत किया जा चुका हैं। जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को प्रकराणाधीन भूमि के खसरा संख्या 490 रकबा 0.9874 हेक्टेयर (6.02 बीघा) भूमि में खनन कार्य करने हेतु 1,60,00,000 (अक्षर एक करोड़ साठ लाख) रूपये की मुआवजा राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को करने हेतु सहमत एवं सक्षम हैं। प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने से माफिक राजीनामा स्वीकार फरमाया जावें।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा और प्रार्थी व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की सहमती के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र जरिये राजीनामा स्वीकार किया जाता हैं। न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत पक्षकारान का राजीनामा दिनांक 03.04.2025 इस आदेश का भाग रहेगा।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्तानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 89 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार स्वीकार किया जाता हैं। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 03.04.2025 इस आदेश का भाग रहेगा।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 25.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)